कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू—प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल क्रमांक / एफ-5 / 1121 / 2022 / 10-11 / 35 42 भोपाल, दिनांक 7 / 10 2022

प्रेषक :-

सुनील अग्रवाल, (भा.व.से.) प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति.

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 3, ई—5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय:- ग्वालियर जिले में वेस्टर्न बायपास के निर्माण हेतु 42.83 हेक्टेयर वनभूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ग्वालियर को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक / 6-MPR 015/2022-BHO/ दिनांक 22.06.2022

----0----

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने विषयांकित प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 13 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है, आपके द्वारा चाही गई जानकारी का विवरण निम्नानुसार है:—

011		गइ जानकारा का विवरण निम्नानुसार ह:-
क्र.	बिन्दु	पालन प्रतिवेदन
1	Alternative alignment with comparative statement alongwith KML file shall be submitted.	आवेदक संस्थान द्वारा प्रकरण में 03 विकल्पों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है एवं छायाप्रति परिशिष्ट—1 पर संलग्न है।
2	The proposed road is part of Ghatigaon Wild Life Sanctuary. Thus, NBWL clearance is required.	आवेदक संस्थान द्वारा प्रकरण में वन्यप्राणी अनुमति हेतु परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया गया है, जिसका प्रकरण क्रमांक / FP/MP/ROAD/ 120435/2021 है।
3	Out of 86 ha of CA land, 6.00 ha has MDF. The net suitable area for plantation is only 80.42 ha. This needs rectification.	प्रकरण में दुगने बिगड़े वनक्षेत्र पर तैयार वृक्षारोपण हेतु वनभूमि वन प्रबंधन की दृष्टि से वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है, जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है। विभाग द्वारा रोपण कार्य 2 मीटर X 3 मीटर या 3 मीटर X 3 मीटर के अन्तराल पर किया जाता है। अतः रोपित किए जाने वाले 86,000 पौधे इस चयनित क्षेत्र में रोपित किए जावेंगे।
4	As per covering letter and SIR, the CA land is 86.00 ha but as per online Part-II the CA area is 85.66 ha shall be clarified.	प्रकरण में ऑनलाईन भाग—2 में कक्ष क्रमांक RF- 354 के वृक्षारोपण क्षेत्र में संशोधन किया गया है।
5	No objection certificates of concerned departments (Railway, WRD etc.) shall be be submitted.	उपरोक्त प्रस्तावित मार्ग में किसी प्रकार की रेल्वे एवं जल संसाधन विभाग की परियोजना प्रचलित नहीं है, इसलिए प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

cal sha	omponent wise breakup of land quired and component wise area lculation with the layout plan all be be submitted.	उपरोक्त प्रकरण में केवल मार्ग निर्माण के अतिरिक्त कुछ भाग में पूर्व से निर्मित मार्ग को चौड़ा किया जा रहा है। जिसकी जानकारी ऑनलईन भाग–1 के बिन्दु क्रमांक B 2.4 Component wise breakup में दी गई है।
sha	tailed muck disposal scheme all be submitted.	आवेदक संस्थान ने अवगत कराया है कि मार्ग निर्माण के पश्चात खुदाई से निकलने वाले मलबे (muck) का उपयोग मार्ग निर्माण में किया जावेगा। वनक्षेत्र में किसी भी प्रकार से मटेरियल (muck) नहीं डाला जावेगा, जिसका वचन पत्र संलग्न है।
by exp	tification for location of the ject in forest land (countersigned DFO) needs to be submitted and planation needs to be provided that y RF cannot be avoided?	भाग—1 के बिन्दु क्रमांक D(i) में अपलोड किया गया है। उक्त justification पर वन मण्डलाधिकारी ग्वालियर ने सहमति व्यक्त कर हस्ताक्षर किए गए हैं।
what property requests	s not clear from the proposal that at is before and what is after posed alignment. Details are uired with KML file shall be mitted & uploaded on webportal.	प्रकरण में आवेदक संस्थान द्वारा alignment की KML file ऑनलाईन भाग–1 में अपलोड की गई है। इसी alignment के आधार पर मार्ग का निर्माण किया जावेगा।
state and the for clar	the letter of NHAI dated 12.2021, addressed to DFO, it is ed that project is of rehabilitation up-gradation while the title of project states that the proposal is construction of road. This needs ification.	आवेदक संस्थान ने अवगत कराया है कि प्रस्तावित मार्ग में कुछ मार्ग नया बनाया जा रहा है एवं कुछ मार्ग पूर्व से ही निर्मित है, उसी को चौड़ीकरण का कार्य किया जावेगा।
and whe cons perm FCA included in the best clause.	the proposal is for rehabilitation up-gradation then please indicate on the existing road was structed? If after 1980 and mission was not taken under at, then the proposal should ude the area of existing road as and in this scenario action needs be initiated in accordance with see 1.21 of FCA guidelines.	
lette	ninistrative approval/sanction r of the project needs to be ided.	आवेदक संस्थान ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का आदेश दिनांक 12.01.2021 की प्रति प्रस्तुत की है, छायाप्रति संलग्न है।
	Benefit ratio needs to be seed out and submitted.	आवेदक संस्थान द्वारा Cost Benefit ratio प्रस्तुत किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

अतः प्रकरण में चाही गई जानकारी की पूर्ति हो गई है। कृपया प्रकरण की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें। संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(सुनील अग्रवाल) भोपाल, दिनांक [7/10/2022

पृ. क्रमांक / एफ-5 / 1121 / 2022 / 10-11 / 3543 प्रतिलिपि:-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), ग्वालियर वृत्त, ग्वालियर, मध्यप्रदेश।

- 2. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, ग्वालियर, मध्यप्रदेश।
- 3. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, डी–81, गोविन्दपुरी, सचिन तेंदुलकर मार्ग, ग्वालियर, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश, भोपाल